न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय श्री सी0आर0मीना, आई.ए.एस. संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./2022/471/टोंक

विभागीय अपील द्वारा श्री हरिपाल वर्मा, भू0अ0निरीक्षक अलीगढ, हाल इंचार्ज खोहल्या, तहसील उनियारा जिला टोंक विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोंक) के आदेश क्रमाक जांच/17 सीसीए/2022/1977 दिनांक 02–08–2022 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री हरिपाल वर्मा, भू0अ0निरीक्षक अलीगढ, हाल इंचार्ज खोहल्या, तहसील उनियारा जिला टोंक

निर्णय

दिनांकः– 27–6–2023

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोंक) के आदेश दिनांक 02.08.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत ज्ञापन क्रमांकः– भू.अ./17 सीसीए/2022/296–98 दिनांक 23–03–2022 द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। अपीलार्थी पर निम्न आरोप लगाये गयेः–

1. यह कि आप द्वारा पटवार मण्डल कैरोद में पदस्थापित है। वित्त वर्ष 2021–22 समाप्ति की और होते हुये भी आप द्वारा बकाया व चालू वसूली की और विशेष ध्यान न देते हुये वसूली कार्य में घोर लापरवाही बरती है। जिसके लिए आप दोषारोपित है।

2. आप द्वारा आदिनांक तक अपने वृत्त की वसूली शुदा राशि नियमान्तर्गत राजकोष में जमा नहीं कराई गई है, जिस क्रम में आपको नायब तहसीलदार बनेठा व तहसीलदार उनियारा द्वारा वसूल शुदा राशि राजकोष में जमा कराने हेतु आदेशित किया जा चुका था। तदुपरान्त भी आप द्वारा वसूलशुदा राजकीय राशि राजकोष में जमा नही कराकर राजकीय राजकोष को आर्थिक हानि पहुँचाई है। आपका यह कृत्य घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है। जिसके लिए आप दोषारोपित हैं।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर आरोपित आरोपो का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। तहसीलदार व नायब तहसीलदार बनेठा की जॉच रिपोर्ट के अनुसार भी अपीलार्थी द्वारा अपने सर्किल के वसूली कार्य मे लगातार शिथिलता बरती जा रही थी। अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया लेकिन अपीलार्थी उपस्थित नही हुए जिससे उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध पाये जाने से अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी उनियारा के उक्त दण्डादेश दिनांक 02–08–2022 को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपचारी कार्मिक को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा उपखण्ड अधिकारी उनियारा का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलार्थी को व्यक्तिशः सुना गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल अपील पर उपखण्ड अधिकारी उनियारा से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके द्वारा अपीलार्थी पर आरोपित आरोप को सिद्ध मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अपीलार्थी ने आज दिनांक 27–6–2023 को व्यक्तिगत सुनवाई के मौखिक रूप से कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा अपने भू0अ0निरी0 सर्कल के सभी पटवारीयो से सम्पर्क कर राजस्व वसुली इसी वित्तीय वर्ष में जमा करवाई है। भू0अ0निरी0 सर्कल मे पटवार मण्डल कुण्डेर व पटवार मण्डल केरोद के पटवारी द्वारा वित्तिय वर्ष 2021–22 की समाप्ति से पूर्व ही बकाया

वसूली पटवार मण्डल कुण्डेर मे 88 प्रतिशत एवं पटवार मण्डल केरोद मे 75 प्रतिशत कर दी थी एवं चालू राजस्व वसूली पटवार मण्डल कुण्डेर व पटवार मण्डल केरोद मे 100 प्रतिशत कर दी है। पटवारी द्वारा वसूल राशि नियमानुसार राजकोष मे दिनांक 30.03.2022 को जमा करा दी है वसूल शुदा राशि एक महीने से ज्यादा पटवारी के पास नही रही है। उपखण्ड अधिकारी उनियारा से प्राप्त टिप्पणी क्रमांक भू.अ./2022/05 दिनांक 11–1–2023 मे राजकीय राशि राजकोष मे दिनांक 25–03–2022 को राशि पटवारी द्वारा जमा करा दी गई है का उल्लेख किया गया है। अपचारी द्वारा बहस के दौरान यह भी कथन किया कि प्रार्थी भू.अ.निरीक्षक के पद पर कार्यरत है तथा वसूली का कार्य संबंधित पटवारियान का होता है और तहसील कार्यालय में पटवारी हल्का द्वारा ही राशि जमा कराई जाती है। प्रार्थी का कार्य केवल सुपरविजन एवं पटवारियों को निर्देश देने का रहता है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी की अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी उनियारा के दण्डादेश दिनांक 02–08–2022 को निरस्त करने की कृपा करावें।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से किये गये कथनों एवं अपील में उल्लेखित बिन्दुओं पर विचार किया तथा उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक द्वारा प्रेषित टिप्पणी, मूल रेकार्ड व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी कार्मिक को जारी आरोप पत्र एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों/जवाब एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ अपीलार्थी श्री हरिपाल वर्मा, तत्कालीन भू0अ0निरीक्षक अलीगढ़ हाल इंचार्ज खोहल्या तहसील उनियारा द्वारा अपने भू0अ0निरी0 सर्कल मे पटवारी द्वारा दिनांक 25.03.2022 को राजस्व वसूली की राशि राजकोष मे जमा करा दी है। अपचारी द्वारा बहस के दौरान यह भी कथन किया कि प्रार्थी भू.अ.निरीक्षक के पद पर कार्यरत है तथा वसूली का कार्य संबंधित पटवारियान का होता है और तहसील कार्यालय में पटवारी हल्का द्वारा ही राशि जमा कराई जाती है। प्रार्थी का कार्य केवल सुपरविजन एवं पटवारियों को निर्देश देने का रहता है। पटवारी हल्का द्वारा जब राजस्व वसूली राशि वित्तीय वर्ष में ही जमा करा दी गई थी तो राजकोष को हानि होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में श्री राजेश कुमार मीणा, पटवारी पटवार मण्डलज केरोद, तहसील उनियारा का प्रकरण इसी विषय वस्तु से होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, उनियारा

द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 2–8–2022 विधिसम्मत नहीं होने के कारण दिनांक 17–1–2023 को तत्कालीन संभागीय आयुक्त द्वारा अपास्त किया जा चुका था। अपचारी कर्मचारी श्री हरिपाल वर्मा तत्कालीन भू.अ.नि अलीगढ़ हाल इंचार्ज खोहल्या तहसील उनियारा जिला टोंक जिला द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किये गये कथन एवं मौखिक जवाब से सहमति व्यक्त करते हुए एवं प्रकरण समान विषय वस्तु का होने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 02–08–2022 को इसी स्तर पर अपास्त किया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपचारी कर्मचारी श्री हरिपाल वर्मा तत्कालीन भू.अ.नि अलीगढ़ हाल इंचार्ज खोहल्या तहसील उनियारा जिला टोंक की अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, उनियारा जिला टोंक द्वारा पारित दण्डादेश क्रमांक जांच/17सीसीए/2022/1977 दिनांक 02–08–2022 विधिविरूद्ध होने से अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को भी दी जावें।

(सी0आर0मीना),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर